

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल



परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका
एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के निर्देश

परीक्षा वर्ष 2026-2027

☎ महत्वपूर्ण दूरभाष क्रमांक ☎

0755-2559923

वेबसाईट: www.mpbse.nic.in ई-मेल : mpbse@mp.nic.in,
regconf.mpbse@mp.gov.in

MP Online का हेल्प लाईन नंबर - 0755-6720200

यह निर्देश पुस्तिका मण्डल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

आमुख

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाएँ। मण्डल द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों को प्रवेश/परीक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख/अग्रेषण संस्था प्राचार्य का होता है।

अतः सभी मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्यों का दायित्व है कि वे मण्डल नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन करे, नियमों के अर्न्तगत संस्था में प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। इस हेतु आपकी सुविधा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं तिथियों का प्रकाशन पुस्तिका के रूप में किया गया है। इसका भली-भाँति अध्ययन कर छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भराये जावे, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि एवं विषयों आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे। आशा करता हूँ कि, आप इस पुस्तिका का अध्ययन कर, नियम निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

महत्वपूर्ण बिन्दु एवं निर्देश

- 1- सत्र 2025-26 में नियत अवधि में प्रवेशित यदि किसी छात्र का कक्षा 9वीं एवं 11वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है, तो ऐसे छात्र को नामांकन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे छात्र दिनांक 31.12.2026 तक नामांकन शुल्क एवं रुपये 1,000/- विलंब शुल्क के साथ भर सकेंगे।
- 2- प्रवेश-पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र में अंकित विषयों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी भी स्तर पर संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में मूल विषय में अनुपस्थित अंकित कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।
- 3- संस्था प्राचार्य को इस आशय का घोषणा पत्र भरना होगा, कि छात्र विषय, माध्यम एवं छात्र के फोटो में कोई संशोधन शेष नहीं है। संस्था प्राचार्य एवं छात्र को परीक्षा केन्द्र पर विषय संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जावेगा।
- 4- कक्षा 9 वीं के आधार पर 10वीं में तथा कक्षा 11वीं के आधार पर 12वीं में अर्थात् छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में जो विषय भरे हैं, वही विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में भर सकेंगे। विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किया जाए।
- 5- शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु नामांकन एवं परीक्षा आवेदन भरने की तिथियाँ पुस्तिका में अंकित की गई है। निर्धारित तिथियों में नामांकन एवं परीक्षा आवेदन भरण सुनिश्चित करें।
- 6- परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्राचार्य एवं छात्रगण परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष अनुमति के आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं, इन्ही कारणों को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष से विलंब शुल्क के साथ परीक्षा प्रारंभ होने के 10 दिवस पूर्व तक केवल परीक्षा आवेदन भरने की सुविधा दी गई है। इन परीक्षार्थियों को जिले की समन्वयक संस्था पर परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जावेगा।
- 7- शासकीय एवं अशासकीय संस्था जिनकी संबद्धता शुल्क जमा नहीं है। उन संस्था के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की सुविधा नहीं रहेगी। ऐसी संस्था नियत अवधि तक संबद्धता शुल्क जमा कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगी।
- 8- प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाता है फलस्वरूप परीक्षा शुल्क के अभाव में छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। प्रत्येक शाला प्राचार्य शुल्क का भुगतान नियत तिथि में करना सुनिश्चित करेंगे।
- 9- परीक्षा आवेदन पत्र/नामांकन फार्म भरने की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात् प्रत्येक परीक्षार्थी का डमी प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक शाला प्राचार्य डमी प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि (वर्णित शर्तों के अध्याधीन) तथा विषय माध्यम की त्रुटि शेष नहीं है। डमी प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी का सत्यापन छात्र एवं अभिभावकों से अनिवार्य रूप से कराया जाए।
- 10- अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जावे की छात्र/छात्रा का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि 31 जुलाई के पूर्व की तिथि का जारी होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में ही दिनांक 30 सितम्बर तक जारी उक्त दस्तावेज (IC व शैक्षणिक दस्तावेज) मान्य किये जा सकेंगे, अन्यथा ऐसे प्रवेश/आवेदन/परीक्षाफार्म अमान्य किये जावेंगे। नियत तिथियों के पश्चात् जारी दस्तावेज के छात्रों को आगामी सत्र के प्रवेश की पात्रता होगी।

1- नियमित/स्वाध्यायी छात्रों के ऑनलाइन नामांकन एवं परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की तिथियाँ-

स. क्र.	विवरण	समयावधि	शुल्क	विलम्ब शुल्क
1	शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं एवं 11वीं का ऑनलाइन नामांकन	15.05.2026 से 30.09.2026 तक	₹500/-	शून्य
	30 सितम्बर के पश्चात् Unpaid अथवा नवीन नामांकन हेतु (कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए)	30.01.2027 तक	₹500/-	₹300/-
2	हाईस्कूल/हा.से.(नियमित/स्वाध्यायी)/विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि	15.05.2026 से 15.09.2026 तक	₹1,500/- (नियमित के लिये परीक्षा शुल्क) ₹1,600/- (स्वाध्यायी के लिये परीक्षा शुल्क)	शून्य
3	15 सितम्बर के पश्चात् विलंब शुल्क ₹100/- के साथ परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथि	16.09.2026 से 25.10.2026 तक		₹100/-
4	25 अक्टूबर के पश्चात् विलंब शुल्क ₹2,000/- के साथ परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथि)	26.10.2026 से 10.11.2026 तक		₹2,000/-
5	10 नवम्बर के पश्चात् विलंब शुल्क ₹5,000/-के साथ परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथि	11.11.2026 से 25.11.2026 तक		₹5,000/-
6	25 नवम्बर के पश्चात् विलंब शुल्क ₹10,000/-के साथ परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथि	26.11.2026 से 10.12.2026 तक		₹10,000/-
7	10 दिसम्बर के पश्चात् विलम्ब शुल्क के साथ (इन परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र जिले की समन्वयक संस्था पर परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा।)	11.12.2026 से 31.12.2026 तक		₹12,000/-
8	31 दिसम्बर के पश्चात् परीक्षा प्रारंभ होने के 20 दिवस पूर्व तक	01.01.2027 से		₹15,000/-

2- अन्य कार्यवाही की तिथि

क्र.	विवरण	निर्धारित तिथि
1	कमी उपस्थिति वाले छात्रों की रोल नम्बर की ऑनलाइन प्रविष्टि की तिथि	01.01.2027 से 31.01.2027 तक
2	डमी प्रवेश-पत्र ऑनलाइन जारी की तिथि	26.10.2026
3	संशोधन उपरान्त संबंधित संस्था प्राचार्य/अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा घोषणा पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	26.10.2026 से 31.12.2026 तक

3- परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु नियत तिथि

क्र.	कार्यवाही विवरण	समय अवधि
1	परीक्षा केन्द्रों का भौतिक सत्यापन	10-08-2026
2	वर्ष 2026 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का समिति द्वारा चयन करना	20-08-2026
3	चयन परीक्षा केन्द्रों का प्रकाशन कर दावें एवं आपत्ति प्राप्त करना	30-08-2026
4	दावें एवं आपत्ति का निराकरण कर जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त करना	24-09-2026
5	मण्डल को अनुमोदित केन्द्र चार्ट प्रेषित करना	30-09-2026

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/4508/प.स./2026

भोपाल दिनांक 31/03/2026

प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका

प्रिय,

प्राचार्य/प्राचार्या,

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाएँ। मण्डल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश/परीक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख/प्राचार्य का होता है। परीक्षा आवेदन पत्र के साथ पात्रता दस्तावेज अपलोड नहीं किया जाना है, केवल अन्य राज्य/बोर्ड के पात्रता दस्तावेज अपलोड किया जाना है। समस्त छात्रों के पात्रता दस्तावेज संस्था में सुरक्षित रखेंगे। संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा की पात्र छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित हो। सत्र 2026-27 में भी परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन दिनांक 15 मई 2026 से भरे जा सकेंगे। सभी मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्यों का दायित्व है कि वे मण्डल नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन करे, नियमों के अंतर्गत संस्था में प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। इस हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है :-

प्रवेश, नामांकन एवं परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि व प्रक्रिया

- 1.1 मण्डल से संबद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्य अपनी संस्था में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में प्रवेश की समस्त प्रक्रिया अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व पूर्ण कर लें। दिनांक 31 जुलाई 2026 तक कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाईन दिनांक 15 सितम्बर 2026 तक प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन-पत्र संस्था प्राचार्य 15 मई 2026 से भरना प्रारंभ कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन-पत्र/नामांकन आवेदन-पत्र ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-
- 1.2 मण्डल द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं के फार्म में UDISE पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थाई शैक्षणिक ID (APAAR) ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउण्ट को अनिवार्य ID के रूप में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्र क्रमांक/D.O.No. 23-4/2023 States दिनांक 11 अक्टूबर 2023 तथा D.O.No. 1-7-2023- V-Section 27 दिसम्बर 2023 (2)-D.O. No.-1-27/2023- DIGED-Part (1) 2 सितम्बर 2024 तथा पत्र क्रमांक 1-27/2023-12 सितम्बर 2024 एवं लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक/अकादमिक/APAAR/NcrF/2024/132 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अनिवार्य किया है।
अतः शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों की अपार आई.डी. आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 1.3 **कक्षा 9वीं की प्रवेश-सूची एवं नामांकन आवेदन-पत्र-** सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में ऑनलाईन नामांकित छात्रों की समस्त प्रविष्टि को ही विद्यालय विशेष की कक्षा 9वीं की प्रवेश सूची मान्य की जावेगी। संस्था की कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों की 15 मई 2026 से 30 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन प्रविष्टि उपरांत ऐसे समस्त छात्र संबंधित शाला की प्रवेश-सूची में स्वतः जुड़ जायेंगे। 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रवेश सूची उनके नामांकन क्रमांको से तैयार करने के लिये पृथक से लिंक उपलब्ध होगी। 9वीं कक्षा के नामांकन भरने हेतु निम्न प्रक्रिया रहेगी-
- 1.3.1 प्रत्येक छात्र का नामांकन आवेदन-पत्र भरते समय संबंधित छात्र की समग्र आई.डी. अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 1.3.2 कक्षा 9वीं के छात्र/छात्रा का एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर समग्र आई.डी. अंकित करते ही समग्र आई.डी. में दर्ज छात्र/छात्रा की समस्त जानकारियां जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित जानकारी सही होने की स्थिति में सीधे नामांकन आवेदन-पत्र भरे जावें तथा समग्र की आई.डी. की जानकारी में भिन्नता होने पर संस्था अभिलेख (स्कॉलर रजिस्टर/टी.सी.) के अनुसार छात्र की जानकारी में सुधार/संशोधन कर नामांकन आवेदन-पत्र भरे जावें।

- 1.3.3 यदि छात्र की समग्र आई.डी. की जानकारी संस्था अभिलेख से भिन्न है तो भिन्न वाले भाग की जानकारी समग्र डाटाबेस में साझा की जायेगी परंतु नामांकन आवेदन-पत्र संशोधित जानकारी के आधार पर ही भरे जायेंगे।
- 1.3.4 कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के नवीन नामांकित हो रहे, परीक्षार्थियों हेतु समग्र आई.डी. अंकित करने पर समग्र डाटाबेस में दर्ज जानकारी जैसे- छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि नामांकन फार्म में ऑटोफिल होकर प्रदर्शित होगी, मिलान न होने पर "मिसमेच" की जानकारी दर्ज की जावेगी।
- 1.3.5 उपरोक्त कार्यवाही म.प्र. के मूल निवासी परीक्षार्थियों हेतु की जाएगी।
- 1.3.6 प्रवेश हेतु आयु का निर्धारण पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश, शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर आयु का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुक्रम में कक्षा 9वीं में प्रवेशित वर्ष में छात्र की आयु 13 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा ऐसे छात्र कक्षा 9वीं में प्रवेश एवं नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। वर्तमान में भी मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 394/1565586/2023/20-2 भोपाल, दिनांक 28/02/2024 द्वारा पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु-सीमा निर्धारित की गई है-

क्रमांक	प्रवेश हेतु कक्षा	न्यूनतम आयु (दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में)
1	नर्सरी	न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह
2	के.जी.-1	न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह
3	के.जी.-2	न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह
4	कक्षा-1	न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह

अतः संस्था प्राचार्य संस्था में किसी भी छात्रा को प्रवेश देने के पूर्व उपरोक्त निर्धारित उम्र का पालन करें, अन्यथा संस्था प्राचार्य के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

- 1.4 कक्षा 10वीं की प्रवेश-सूची एवं परीक्षा आवेदन-पत्र- सत्र 2026-27 में कक्षा 10वीं में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र उनके कक्षा 9वीं के नामांकन के आधार पर ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। कक्षा 10वीं में सत्र 2026-27 में नियमित प्रवेश हेतु किसी छात्र का नामांकन क्रमांक A-23 से A-25 सीरीज का होना आवश्यक है। Kiosk अथवा Portal पर छात्र के नामांकन क्रमांक की प्रविष्टि करते हुये परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जा सकते हैं। A-23 अर्थात वर्ष 2023-24 में नामांकित परीक्षार्थियों से पूर्व के नामांकित परीक्षार्थी नियमित प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। निर्धारित अवधि में जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र संस्था द्वारा भरे जायेंगे उन्हें ही विद्यालय विशेष की प्रवेश सूची हेतु मान्य किया जायेगा।
- 1.5 सत्र 2025-26 में नियत अवधि में प्रवेशित यदि किसी छात्र का कक्षा 9वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है, तो ऐसे छात्र को नामांकन प्राप्त करने हेतु कक्षा 10वीं के परीक्षा आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां करते हुये अपने पात्रता संबंधी प्रमाणित दस्तावेज की प्रति अपलोड करने पर परीक्षा आवेदन-पत्र ग्राह्य किये जायेंगे। ऐसे छात्र दिनांक 31.12.2026 तक नामांकन शुल्क एवं ₹1,000/- विलंब शुल्क के साथ कक्षा 10वीं के परीक्षा फार्म भर सकेंगे।
- 1.6 कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची- सत्र 2026-27 में कक्षा 11वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनका चयन कक्षा 10वीं के रोलनम्बर के आधार पर कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची हेतु ऑनलाईन किया जाएगा।

सत्र 2025-26 में अन्य राज्य/बोर्ड के नियत अवधि में प्रवेशित यदि किसी छात्र का कक्षा 11वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है, तो ऐसे छात्र को नामांकन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे छात्र दिनांक 31.12.2026 तक नामांकन शुल्क एवं ₹1,000/- विलंब शुल्क के साथ भर सकेंगे।

- 1.7 कक्षा 12वीं की प्रवेश सूची एवं परीक्षा आवेदन-पत्र- सत्र 2026-27 में कक्षा 12वीं के लिए प्रवेशित सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 10वीं उत्तीर्ण छात्रों तथा 2025 एवं 2026 में कक्षा 12वीं नियमित अनुत्तीर्ण छात्रों की सूची एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क/पोर्टल पर

- ऑनलाईन उपलब्ध होगी। कक्षा 12वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनका चयन कक्षा 10वीं के रोलनंबर के आधार पर कक्षा 12वीं का परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाईन किया जायेगा। अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल से ग्राह्यता प्राप्त छात्रों को कक्षा 12वीं का नियमित फार्म भरने के लिये C23 से C25 सीरिज का नामांकन क्रमांक होना आवश्यक है।
- 1.8 संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि सत्र 2023-24, 2024-25 अथवा 2025-26 में कक्षा 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश देकर परीक्षा आवेदन-पत्र भर सकेंगे। ऐसे छात्र जो सत्र 2024-25 अथवा 2025-26 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुआ हो, वे बिना विषय परिवर्तन किये श्रेणी सुधार के लिये संस्था के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र भर सकता है, किन्तु ऐसे छात्रों के लिये प्राचार्य का दायित्व होगा कि दोनो वर्षों में से छात्र केवल एक ही बार श्रेणी सुधार की सुविधा का लाभ ले। सत्र 2025-26 में कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण होकर नियमित प्रवेशित छात्र अथवा श्रेणी सुधार के रूप में प्रवेशित छात्रों का चयन कक्षा 12वीं के रोलनंबर के आधार पर किया जा सकेगा।
- 1.9 सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं/11वीं के जिन छात्रों के अंक व परीक्षा परिणाम ऑनलाईन प्रविष्ट किये गये हैं तथा उक्त ऑनलाईन प्रविष्ट परीक्षा परिणाम के अनुसार उत्तीर्ण छात्र ही कक्षा 10वीं/12वीं का परीक्षा आवेदन फार्म भर सकेंगे। जिन छात्रों की प्रविष्टि नहीं की गई है, उनकी प्रविष्टि करते हुए परीक्षा आवेदन-पत्र भर सकेंगे।
- 1.10 अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेशित छात्रों के निम्न दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड कर प्रमाणित प्रतियां संभागीय कार्यालय में जमा करें -

स.क्र.	कक्षा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	9वीं एवं 10वीं (नियमित छात्रों हेतु)	(अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (ब) प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट (सी.बी.एस.ई. बोर्ड के छात्र को छोड़कर)
2	11वीं एवं 12वीं (नियमित छात्रों हेतु)	(अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (ब) प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट (सी.बी.एस.ई. बोर्ड के छात्र को छोड़कर) (स) प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र
3	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के स्वाध्यायी छात्रों के लिए	(अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (ब) प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र

उपरोक्त छात्रों को नामांकन क्रमांक आवंटित किये जायेंगे। आवश्यक दस्तावेज अथवा पात्रता के अभाव में अपात्र छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा। अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के छात्रों को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ₹ 1200/- (ग्राह्यता शुल्क) एवं नामांकन शुल्क ₹500/- भी पृथक से देय होगा।

- 1.10.1 सी.बी.एस.ई. बोर्ड में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल से प्रवेश लेते समय प्रवेशित संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि टी.सी. जारीकर्ता विद्यालय का नाम सी.बी.एस.ई. बोर्ड की मान्यता सूची के सरल क्रमांक को अंकित करते हुये सूची के उस भाग के पृष्ठ को ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही इस आशय का घोषणा-पत्र की ग्राह्यता आवेदन के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 1.10.2 कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के ग्राह्यता के छात्र/छात्राओं के प्रमाणित दस्तावेज समन्वयक संस्था के माध्यम से संभागीय कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- 1.10.3 अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से कक्षा 10वीं एवं 12वीं स्वाध्यायी अथवा पत्राचार में अनुत्तीर्ण छात्रों को नियमित की पात्रता नहीं होगी।
- 1.10.4 कक्षा 10वीं एवं 12वीं (नियमित/स्वाध्यायी) छात्रों के पात्रता दस्तावेज/अर्थदण्ड की राशि समय-सीमा में प्राप्त न होने पर छात्रों के डमी/मूल प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जावेंगे।

- 1.11 कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि दस्तावेज अपठनीय न हों, दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त किये जावेगा।
- 1.12 अन्य राज्य/बोर्ड के छात्र जो कक्षा 9वीं/11वीं की ग्राह्यता किये बिना सीधे 10वीं/12वीं का परीक्षा फार्म भरने की स्थिति में छात्र को पात्रता के अभाव में संस्था प्राचार्य की सहमति के आधार पर नियमित से पात्रतानुसार स्वाध्यायी किया जावेगा। साथ ही ऐसे छात्रों के प्रति छात्र ₹5,000/- का अर्थदण्ड संस्था प्राचार्य को देना होगा एवं संस्था की संबद्धता समाप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी। यह छात्रों से नहीं वसूली जावेगी।
- 1.13 शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं/11वीं के अन्य राज्य बोर्ड के छात्रों के लंबित ग्राह्यता प्रकरण दस्तावेज अपूर्ण के कारण निरस्त किये जावेंगे। ऐसे छात्र शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 10वीं/12वीं में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में पुनः ग्राह्यता संबंधी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

2. मण्डल की परीक्षाओं में नियमित रूप से सम्मिलित होने के लिये ऑनलाइन (Online) आवेदन भरने संबंधी निर्देश

- 2.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2026-27 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका के निर्देशानुसार समस्त कक्षाओं की प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षा आवेदन पत्र भी ऑनलाइन भरे जावेंगे। निर्धारित तिथि 31.07.2026 तक प्रवेशित छात्र मण्डल द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षा आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। स्क्रीन पर छात्र का डाटा डिस्प्ले होने पर छात्र के केवल पाठ्यक्रम अनुसार चयनित विषय की प्रविष्टि कर, निर्धारित शुल्क MP Online के कियोस्क सेन्टर पर जमा कर परीक्षा आवेदन भरने की कार्यवाही की जावे।
- 2.2 अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण छात्र मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेशित (कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं) छात्रों के ऑनलाइन नामांकन फार्म/प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन फार्म के साथ प्रवेश प्रक्रिया में उल्लेखनीय पात्रता दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संस्था प्राचार्य संस्था में सुरक्षित जमा रखेंगे।
- 2.3 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों के लिये यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य, अभिभावक एवं छात्र का होगा कि, निर्धारित तिथियों में समस्त दस्तावेजों को अपलोड कर दिया गया है, यदि कोई दस्तावेज अपलोड करने से रह गया होतो ऐसे दस्तावेज परीक्षा फार्म भरने हेतु निर्धारित अवधि में अपलोड किये जा सकेंगे। अर्हकारी परीक्षा हेतु अपलोड किये गये दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी मेन्यूवली दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेंगे।
- 2.4 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जावे की छात्र/छात्रा का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि 31 जुलाई के पूर्व की तिथि का जारी होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में ही दिनांक 30 सितम्बर तक जारी उक्त दस्तावेज (TC व शैक्षणिक दस्तावेज) मान्य किये जा सकेंगे, अन्यथा ऐसे प्रवेश/आवेदन/परीक्षाफार्म अमान्य किये जावेंगे। नियत तिथि दिनांक 30 सितम्बर के पश्चात् जारी दस्तावेज के छात्रों को आगामी सत्र के प्रवेश की पात्रता होगी।
- 2.5 शासन से मान्यता एवं मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा भरे गये नामांकन फार्म/ग्राह्यता फार्म/परीक्षा आवेदन-पत्रों का शुल्क जमा ना होने (Unpaid) की संस्थावार संख्या की जानकारी दिनांक 20 सितम्बर 2026 तक संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल के संभागीय अधिकारी की लॉगिन में उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2026 तक समस्त (Unpaid) छात्रों के शुल्क जमा हो जावे।

- 2.6 शुल्क छूट हेतु छात्रों के निर्धारित प्रमाणित प्रमाण पत्र, शुल्क स्टैटमेंट, नामिनल रोल इत्यादि समन्वयक संस्था में निर्धारित तिथियों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2.7 ऑनलाइन आवेदन-पत्र निकटस्थ MP Online के माध्यम से निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जस का नगद भुगतान करते हुए भरे जा सकते हैं। संस्था स्वयं MP Online की वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in से Credit Card/Debit Card /Internet Banking से शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन कर सकती है। संस्था प्राचार्य/अग्रेषण संस्था प्राचार्य निकटस्थ कियोस्क/पोर्टल पर जाकर प्रविष्टि करायेंगे। किसी भी स्थिति में छात्र को Kiosk पर नहीं भेजा जाये। छात्र का डिजिटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो ग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा कर फोटो को Kiosk पर स्कैन कराया जावे।
- 2.8 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं अन्य परीक्षाएँ वर्ष 2026-27 के लिये कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के परीक्षा आवेदन के साथ छात्र का स्वप्रमाणित Documents संलग्न कर संस्था में सुरक्षित रखेंगे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मण्डल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण छात्र मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेशित (कक्षा 9वी, 10वी, 11वी एवं 12वी) छात्रों के ऑनलाईन नामांकन फार्म/प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन फार्म हेतु Kiosk/Portal पर पृथक लिंक उपलब्ध होगी। उक्त लिंक के माध्यम से अन्य राज्य अन्य मण्डलों के कक्षा 9वी एवं 11वी के परीक्षार्थियों के नामांकन आवेदन/प्रवेश सूची तथा 10वी एवं 12वी के लिये परीक्षा आवेदन फार्म भरे जायेंगे तथा इन परीक्षार्थियों के लिये प्रवेश सूची के साथ अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करने के साथ संस्था में सुरक्षित रखेंगे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मण्डल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक का मोबाईल नम्बर संस्था की पंजी में दर्ज कर सुरक्षित रखा जावे, आवश्यकता पड़ने पर मण्डल को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 2.9 संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि वे प्रवेश देने के समय ही छात्रों के डाक्युमेंट की जांच पूर्व में ही कर ले, उसके पश्चात् ही छात्रों को नियमित प्रवेश दे अथवा पात्रतानुसार स्वाध्यायी आवेदन भरने के दिशा निर्देश दे। पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं होने अथवा अपात्र पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य की होगी, मण्डल की नहीं। अपात्र छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने वाले संस्था प्राचार्य के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 2.10 कोई भी परीक्षार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में दो विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता है।
- 2.11 संस्था प्राचार्य नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय कियोस्क संचालक पर निर्भर नहीं रहेंगे। संबंधित विद्यालय के संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि कियोस्क संचालक से सतत् संपर्क में रहकर नियत तिथि पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरना व शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी भी विद्यालय के परीक्षा फार्म अथवा शुल्क कियोस्क संचालक की लापरवाही से जमा नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रकाश में आने की तिथि का लागू शुल्क व नियम लागू होंगे।

3. स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये निर्देश

प्रत्येक शासकीय/अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के लिये प्रत्येक परीक्षा हेतु स्वाध्यायी परीक्षा फार्म अग्रेषण करने की अधिकतम संख्या 300 निर्धारित है। समस्त जिले की समन्वय संस्था के लिये यह सीमा लागू नहीं होगी। संबंधित संस्था केवल उन्ही परीक्षा एवं संकाय के आवेदन फार्म अग्रेषित कर सकेंगी, जिस परीक्षा एवं संकाय की मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त है।

(अ)–हाईस्कूल परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता

- 1 कक्षा 8वीं की परीक्षा, जून 2025 या उसके पूर्व उत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 2 जून 2026 अथवा उसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 3 जून 2026 अथवा उसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्ष अन्य बोर्डों अथवा परीक्षा निकायों की कक्षा 10वीं की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(ब) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता

- 1 जून 2025 अथवा इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण है।
- 2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डलों एवं परीक्षा निकायों से जून 2025 या उसके पूर्व 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 3 वर्ष 2026 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. की कक्षा 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो।
- 4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डल अथवा परीक्षा निकायों से जून 2026 या उसके पूर्व कक्षा 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, हायर सेकेण्डरी परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे।

4. मण्डल की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने संबंधी निर्देश

- 4.1 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन भरने के लिए सर्वप्रथम मण्डल की वेबसाईट mpbse.mponline.gov.in से परीक्षा आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करेंगे।
- 4.2 इस प्रारूप में समस्त प्रविष्टियां छात्र स्वयं की हस्तलिपि में भरेंगे। अग्रेषण संस्था क्रमांक (school code) एवं ब्लॉक कोड अग्रेषण संस्था के प्राचार्य द्वारा ही भरा जायेगा।
- 4.3 परीक्षार्थी स्वयं समस्त जानकारी भरने के उपरांत परीक्षा में बैठने की पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न करते हुए किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय अग्रेषण संस्था में आवेदन पत्र की जांच करायेंगे। किसी भी प्रकार की दस्तावेजों की कमी अथवा त्रुटि पूर्ण/अपूर्ण जानकारी जैसे फोटो न होना, के लिये संबंधित संस्था प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। ऐसा पाये जाने पर मण्डल विनियम व परीक्षा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
- 4.4 परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की पात्रता संबंधी जांच प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर करके पात्र पाए जाने पर आवेदन-पत्र को अग्रेषण संस्था के प्राचार्य अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा लगाकर अग्रेषित करेंगे। अग्रेषित आवेदन-पत्र की ऑनलाईन प्रविष्टि एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर अग्रेषण संस्था प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर कराई जायेगी। ऑन लाईन प्रविष्टि हेतु ₹25/- पोर्टल शुल्क कियोस्क संचालक को देय होगा।

ऑनलाइन प्रविष्टि कराने हेतु छात्रों को कदापि न भेजा जावे तथा अग्रेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परीक्षा हेतु अग्रेषित फार्मों की संख्या 300 से अधिक न हो। समस्त जिलों की समन्वय संस्था के लिये यह सीमा लागू नहीं होगी। साथ ही जिले की समन्वयक संस्था को छोड़कर शेष संस्थायें यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संस्थाओं को जिस परीक्षा एवं संकाय की मान्यता/सम्बद्धता है, उसी परीक्षा एवं संकाय के परीक्षा फार्म अग्रेषित किया गया है। स्वाध्यायी परीक्षा हेतु समस्त छात्रों से परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिन्ट एवं पात्रता दस्तावेज अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा संस्था में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे। न्यायालयीन अथवा शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में मण्डल द्वारा चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।

- 4.5 कियोस्क संचालक केवल मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य से अग्रेषित आवेदनों की ही प्रविष्टि करेंगे। यदि किसी कियोस्क संचालक द्वारा ऐसे आवेदन की प्रविष्टि किया जाना पाया जाता है जो किसी प्राचार्य से अग्रेषित नहीं है तो ऐसे कियोस्क के लायसेंस निरस्ती करने की सूचना मण्डल द्वारा MP Online को दी जायेगी।
- 4.6 ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रविष्टि कराने के उपरांत आवेदक को कियोस्क संचालक द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रिंट आउट की सूक्ष्मता से जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उसमें स्पेलिंग संबंधी या अन्य कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि है तो कियोस्क पर त्रुटि सुधार कराया जाए।
- 4.7 शासन से मान्यता एवं मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा भरे गये नामांकन फार्म/ग्राह्यता फार्म/परीक्षा आवेदन-पत्रों का शुल्क जमा ना होने (Unpaid) की संस्थावार संख्या की जानकारी दिनांक 20 अक्टूबर 2026 तक संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल के संभागीय अधिकारी की लॉगिन में उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि निर्धारित तिथि 30 अक्टूबर 2026 तक समस्त (Unpaid) छात्रों के शुल्क जमा हो जावे।
- 4.8 त्रुटि रहित परीक्षा आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त होने पर पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं कियोस्क से प्राप्त पावती सहित इसे अग्रेषण संस्था (F.O) में निर्धारित तिथि के पूर्व संकलित करें।
- 4.9 अग्रेषण संस्था प्राचार्य अग्रेषण शुल्क ₹40/- छात्रों से पृथक से आवेदन अग्रेषण करते समय प्राप्त करेंगे। जिसमें संस्था प्रमुख/प्राचार्य को ₹15/- एवं सहायक अग्रेषणकर्ता शिक्षक को ₹25/- देय होगा।
- 4.10 कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले ऐसे नवीन परीक्षार्थी जिनका नामांकन पूर्व में मण्डल से नहीं हुआ है, उनका नामांकन कक्षा 10वीं के लिए E सीरीज तथा कक्षा 12वीं के लिए F सीरीज से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा कराया जाएगा। इस हेतु नामांकन शुल्क ₹500/- परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त कियोस्क पर जमा करना होगा।
- 4.11 ऐसे परीक्षार्थी जो अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के हैं उन्हें स्वाध्यायी परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र (केवल 12वीं हेतु) दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अग्रेषण संस्था में जमा करना होगा, जिसे अग्रेषण संस्था प्राचार्य संस्था में सुरक्षित रखेंगे। यह भी सुनिश्चित करना अग्रेषण संस्था प्राचार्य, अभिभावक एवं छात्र का होगा कि, निर्धारित तिथियों में समस्त दस्तावेजों को अपलोड कर दिया गया है, यदि कोई दस्तावेज अपलोड करने से रह गया हो तो ऐसे दस्तावेज अंतिम तिथि तक अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अर्हकारी परीक्षा हेतु अपलोड किये गये दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी मेन्यूअली दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को ग्राह्यता शुल्क ₹1,200/- एवं नामांकन शुल्क ₹500/- एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर जमा करना अनिवार्य होगा, जो परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।

5. ऑनलाइन प्रवेश-पत्र/नामांकन कार्ड डाउनलोड करने के पूर्व की महत्वपूर्ण व अनिवार्य कार्यवाही

- 5.1 परीक्षा आवेदन पत्र/नामांकन फार्म भरने की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात प्रत्येक परीक्षार्थी का डमी प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक शाला प्राचार्य डमी प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि (वर्णित शर्तों के अध्याधीन) तथा विषय माध्यम की त्रुटि शेष नहीं है। डमी प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी का सत्यापन छात्र एवं अभिभावकों से अनिवार्य रूप से कराया जाए।
- 5.2 समस्त मान्यता/संबद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे, कि संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र में कोई त्रुटि शेष नहीं है। आवेदनों पत्रों में त्रुटि सुधार की सुविधा केवल निर्धारित शर्तों के अधीन ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
- समस्त प्राचार्य उनकी संस्था में अध्ययनरत (कक्षा 10वीं एवं 12वीं) समस्त छात्रों के आवेदनों में कोई त्रुटि शेष नहीं है। इस आशय का घोषणा-पत्र ऑनलाइन अपलोड करेंगे अन्यथा निर्धारित समय पर घोषणा-पत्र अपलोड नहीं किया है, ऐसी संस्था के छात्रों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं किये जा सकेंगे।
- 5.3 संस्था प्राचार्य द्वारा निर्धारित घोषणा प्रमाण-पत्र दिनांक 31.12.2026 तक मण्डल को ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही घोषणा-पत्र अपलोड करने की तिथि तक आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। इसके पश्चात् भरे जाने वाले आवेदन-पत्रों में संशोधन की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।
- 5.4 प्रवेश-पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र में अंकित विषयों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी भी स्तर पर संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में मूल विषय में अनुपस्थित अंकित कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।
- 5.5 मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों हेतु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी करने के पश्चात् संस्था प्राचार्य अथवा छात्र द्वारा किसी छात्र के विषय/माध्यम संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रति छात्र रुपये 1,500/- अर्धदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। जो विषय/माध्यम शुल्क के अतिरिक्त होगी। अर्धदण्ड की राशि संबंधित संस्था प्राचार्य को जमा करनी होगी। यह राशि छात्रों से वसूली नहीं की जावेगी। किन्तु ऐसे परिवर्तन की सुविधा परीक्षा प्रारंभ तिथि के 20 दिवस पूर्व तक रहेगी।
- अतः समस्त संस्था प्राचार्य ऑनलाइन घोषणा-पत्र अपलोड करने के पूर्व छात्र/छात्राओं का विषय/माध्यम का भली-भाँति परीक्षण/मिलान कर लें।
- 5.6 दिनांक 31.12.2026 तक घोषणा पत्र ऑनलाइन जमा न करने की स्थिति में संस्था प्राचार्य 20.01.2027 तक अर्धदण्ड ₹2,000/- जमा कर घोषणा पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।

6. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश

- 6.1 छात्रों के आवेदन-पत्र भरे जाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, जो कि छात्र के साथ-साथ प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य का भी दायित्व है। पूर्व वर्षों में यह देखने में आया है कि, नामांकन में छात्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण परीक्षा के पूर्व तथा परीक्षा परिणाम के उपरान्त अंकसूचियों में संशोधन के लिये अत्याधिक संख्या में प्रकरण उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण छात्रों एवं अभिभावकों को अत्यधिक परेशानी होती है।

अतः संबंधित संस्था प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि, किसी भी छात्र का, किसी भी कक्षा के लिये नामांकन/आवेदन-पत्र भरने के दौरान व उपरान्त, नामांकन/आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारीयों जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे, जिससे आवेदन-पत्र में कोई लिपिकीय त्रुटि न रहे एवं नामांकन आवेदन-पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जावे। समुचित परीक्षण उपरान्त नामांकन फार्म भरने से बाद में अंकसूचियों में संशोधन की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

- 6.2 संबंधित संस्था प्राचार्य के माध्यम से पूर्व में कक्षा 9वीं/11वीं के नामांकन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारीयों का सम्पूर्ण डाटा परिवर्तित किये बिना, लिपिकीय त्रुटियों को संस्था में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संस्था प्राचार्य के प्रमाणीकरण के आधार पर, जिस कियोस्क से नामांकन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये हैं, कियोस्क/पोर्टल के माध्यम से त्रुटियों का सुधार किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार के आधार का संपूर्ण दायित्व संस्था प्राचार्य का होगा।
- 6.3 डिजीटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त, छात्र का रंगीन फोटोग्राफ, स्कैन कर आवेदन-पत्र भर सकेंगे। आवेदन पत्र में फोटो स्कैन किया जाना आवश्यक है। नियमित कक्षा 10वीं के जिन छात्रों की फोटो नामांकन अथवा रोलनम्बर प्रविष्टि करने पर डिस्टले हो रही है ऐसे छात्रों की फोटो पुनः स्कैन नहीं करायी जाना है। कक्षा 10वीं स्वाध्यायी छात्रों एवं कक्षा 12वीं के सभी छात्रों (नियमित/स्वाध्यायी) के नवीन फोटो स्कैन की जाना अनिवार्य है।
- 6.4 वर्ष 2025 एवं 2026 की मण्डल परीक्षाओं में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण रहे छात्र श्रेणी सुधार हेतु वर्ष 2027 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ऐसे छात्र पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा का रोलनम्बर कियोस्क पर प्रविष्टि कराते हुए अपना ऑन लाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भर सकते हैं। इस श्रेणी के नियमित छात्र वर्तमान संस्था का कोड तथा स्वाध्यायी छात्र अग्रेषण संस्था के कोड की प्रविष्टि करते हुए आवेदन-पत्र भर सकेंगे। विषय परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- 6.5 नियमित/स्वाध्यायी छात्र मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ही अतिरिक्त विषय का चयन कर सकेंगे।
- 6.6 मण्डल के विज्ञप्ति क्रमांक/3306/विद्योचित/2022, भोपाल दिनांक 08.02.2022 अनुसार मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले केवल "दृष्टिहीन (Blindness, Low-vision), मानसिक विकलांग एवं हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को लेखक चयन/विषय चयन/अतिरिक्त समय/परीक्षा शुल्क से छूट/कम्प्यूटर या टाईप रायटर चयन की सुविधायें" प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

2- कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्न दिव्यांग छात्र/छात्राओं **CWSN (Children with special need)** को भी उपरोक्त सुविधायें प्रदान की जावेंगी-

अ- शारीरिक रूप से विकलांग छात्र

- 1- Loco Motor Disability- Leprosy Cured persons, Cerebral Palsy, Dwarfism, Muscular Dystrophy, Acid Attack victim
- 2- Visual impairment- Blindness, Low vision
- 3- Hearing impairment, Deaf, Hard of hearing
- 4- Speech & Language Disability

ब- Intellectual Disability

- 1- Specific Learning Disabilities
- 2- Autism Spectrum Disorder

स- Mental illness,

- द- 1- Chronic Neurological Conditions-Multiple Sclerosis, Parkinson's disease
2- Blood Disorder - Haemophilia, Thalassemia, Sickle cell disease
3- सभी दिव्यांग छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुये अंक प्रदाय किये जाने की सुविधा रहेगी। उक्त बहुविकल्पीय प्रश्न नियुक्त किये गये बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार किये जावेंगे।

- 6.7 विषय एवं ब्लाक कोड लिस्ट मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है साथ ही पुस्तिका के साथ भी संलग्न है। तदानुसार ही आवेदन में सही कोड अंकित किये जाए।
- 6.8 समस्त नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र संस्था प्राचार्य उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं भरेंगे। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों कियोस्क नहीं भेजा जाए।
- 6.9 किसी भी कियोस्क द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूली जाती है तो mponline के हेल्प लाईन नम्बर 0755-6720200 पर शिकायत दर्ज करा सकते है।
- 6.10 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों के आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त परीक्षा आवेदन फार्म के साथ छात्र द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति व केवल माईग्रेशन की मूलप्रति नियत तिथि में संस्था प्राचार्य संस्था में जमा कर सुरक्षित रखेंगे।

7. विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) के आवेदन की प्रक्रिया एवं पात्रता

- 7.1 विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा के आवेदन ऑनलाइन भरने हेतु मण्डल की वेबसाईट से निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप का प्रिन्ट आउट निकाल कर निर्धारित कालमों में जानकारी की प्रविष्टी करने उपरांत निकट के कियोस्क पर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे।
- 7.2 परीक्षा में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 7.3 इस परीक्षा हेतु द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना लागू की गई है। नवीन पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं छात्रों का नामांकन क्रमांक आवंटित की श्रृंखला G- वर्ष/संस्था कोड/01 होगी।

8. परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन

- 8.1 परीक्षा परिणाम घोषणा के उपरान्त संशोधन के प्रकरणों की संख्या शून्य रहे, इसे दृष्टिगत रखते हुए Online परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित संस्था प्राचार्य Online त्रुटि सुधार/संशोधन करना सुनिश्चित करेंगे :-

स.क्र.	कक्षा	आवेदन पत्रों में संशोधन की सुविधाएँ
1	कक्षा 9वीं का नामांकन (A-26 सीरिज के छात्र)	नामांकित छात्र के विषय/माध्यम, छात्र/माता/पिता के नाम में स्पेलिंग, जन्मतिथि एवं फोटो में संशोधन की सुविधा।
2	कक्षा 10वीं के आवेदन पत्र में	स. क्र. (i) में वर्णित संशोधन कक्षा 9वीं के नामांकन (A-25 सीरिज) में किए जा सकेंगे।
3	कक्षा 11वीं के आवेदन पत्र में	विषय/संकाय/माध्यम में संशोधन की सुविधा।

4	कक्षा 11वीं/12वीं में अन्य राज्य /बोर्ड के छात्रों हेतु संशोधन सुविधा	केवल अन्य राज्य/बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि एवं फोटो में से अधिकतम दो श्रेणी में संशोधन की अनुमति होगी।
5	कक्षा 12 वीं के आवेदनों में	कक्षा 12वीं में केवल माध्यम/भाषा विषय तथा फोटो संशोधन की अनुमति होगी।

- 8.2 कक्षा 10वीं/12वीं में (संबंधित छात्र के कक्षा 9वीं/11वीं के ऑनलाईन दर्ज जानकारी में संशोधन ही कक्षा 10वीं/12वीं में संशोधन मान्य किया जाएगा) संशोधन की सुविधा दिनांक 31.12.2026 तक नियत शुल्क के साथ उपलब्ध रहेगी। अन्य राज्य/बोर्ड के छात्र के लिये संशोधन सुविधा सीधे एवं कक्षा 9वीं/11वीं नामांकित छात्रों के लिये उसके नामांकन आवेदन-पत्र में संशोधन करना आवश्यक होगा।
- 8.3 वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार का संशोधन (माध्यम/विषय) परिवर्तन मान्य नहीं किया जावेगा। यदि किसी भी केन्द्र पर परिवर्तन किया जाता है तो प्रवेश-पत्र में अंकित विषय अनुसार संबंधित विषय में ABS अंकित कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।
- 8.4 मण्डल द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए घोषणा पत्र ऑनलाईन अपलोड करने उपरांत किसी भी प्रकार के संशोधन की छूट नहीं रहेगी। सुधार हेतु ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन किसी भी तरह से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

9. परीक्षा आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण

- 9.1 नवीन प्रवेशित छात्रों की जांच उपरांत पात्रता होने पर ही प्रवेश दिया जाए। मण्डल की परीक्षा हेतु नवीन प्रवेशित परीक्षार्थियों के Documents की जांच भी प्राचार्य स्तर पर की जाये, तथा छात्र से विवरण संबंधी पुष्टि करा ली जाये। पात्र छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित हो यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा। समस्त छात्रों के ऑनलाईन आवेदन की प्रति के साथ पात्रता संबंधी डाक्यूमेन्ट्स संस्था में सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा। भविष्य में न्यायालयीन प्रकरण अथवा शिकायती प्रकरण उदभूत होने की स्थिति में मण्डल द्वारा चाहे गये दस्तावेज संस्था को उपलब्ध कराना होगा।
- 9.2 छात्रों के नामांकन आवेदन-पत्र भरे जाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, जो कि छात्र के साथ-साथ प्राचार्य का भी दायित्व है। पूर्व वर्षों में यह देखने में आया है कि, नामांकन में छात्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण परीक्षा के पूर्व तथा परीक्षा परिणाम के उपरान्त अंकसूचियों में संशोधन केलिये अत्याधिक संख्या में प्रकरण उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण छात्रों एवं अभिभावकों को अत्यधिक परेशानी होती है।

अतः संबंधित संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा, कि किसी भी छात्र का किसी भी कक्षा के लिये नामांकन आवेदन-पत्र भरने के दौरान व उपरान्त, नामांकन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारियों जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे, जिससे आवेदन-पत्र में कोई लिपिकीय त्रुटि न रहे एवं नामांकन आवेदन-पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जावे। समुचित परीक्षण उपरान्त नामांकन फार्म भरने से बाद में अंकसूचियों में संशोधन की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

10. संभागीय अधिकारी के दायित्व

- 10.1 ऑनलाईन आवेदन की प्रति, नामिनल रोल, शुल्क विवरण पत्रक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र इत्यादि अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे, तथा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का आडिट पूर्व वर्षों के भौति संभागीय कार्यालय स्तर पर संबंधित विभाग से कराकर ऑडिट रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत करेंगे। शुल्क छूट के दस्तावेज संबंधित प्राचार्य निर्धारित तिथि के 07 दिवस में समन्वयक संस्था में जमा करना सुनिश्चित करेंगे एवं समन्वयक संस्था से निर्धारित तिथियों में संभागीय अधिकारी के प्रतिनिधि दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। संभागीय कार्यालय द्वारा इस वर्ष से परीक्षाओं की पात्रता संबंधी जांच नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मण्डल मुख्यालय द्वारा जांच हेतु पृथक से निर्देशित किया जावेगा।
- 10.2 संभागीय कार्यालय का प्रतिनिधि परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि के सात दिवस पश्चात् जिले की समन्वयक संस्था से समस्त शुल्क छूट के दस्तावेज प्राप्त करेंगे। इन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का आडिट पूर्व वर्षों के भौति संभागीय कार्यालय स्तर पर संबंधित विभाग से कराकर ऑडिट रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत करेंगे।
- 10.3 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों की पात्रता का परीक्षण कर मान्य/अमान्य करना।
- 10.4 कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र—
अ— जो कक्षा 10वीं में सीधे 8वीं उत्तीर्ण के आधार पर सम्मिलित हो रहे हैं एवं नामांकन क्रमांक उपलब्ध नहीं है।

अथवा

- वर्ष 2003 के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. से 10वीं अनुत्तीर्ण है।
ब— जो कक्षा 12वीं में वर्ष 2003 के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10वीं उत्तीर्ण है।
के आवेदन पत्रों की पात्रता परीक्षण करने हेतु संभागीय अधिकारी की G2G लॉगिन में दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे। ऐसे प्रकरणों का भी संभागीय अधिकारी द्वारा मान्य व अमान्य का Approval करना अनिवार्य होगा।
- 10.5 अनुसूचित जाति/जनजाति के जाति प्रमाण पत्र एवं सी.डब्ल्यू.एस.एन. (निःशक्त) वर्ग के चिकित्सा प्रमाण-पत्रों का परीक्षण करना।

11. बेस्ट फाईव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र. के आदेश क्रमांक आर/789/221/2022/20-3 भोपाल, दिनांक 23.12.2024 के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सत्र 2026-27 से बेस्ट ऑफ फाईव पद्धति समाप्त की जाती है।

12. हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी द्वितीय परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1965 विनियम में संशोधन संबंधी प्रकाशित राजपत्र में विहित प्रावधान एवं मण्डल की विभिन्न समितियों द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सत्र 2026-2027 में मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी द्वितीय परीक्षा के आयोजन हेतु निम्नानुसार विस्तृत अनुदेश जारी किये जाने हैं—

- 12.1 शैक्षणिक सत्र की प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र/छात्रायें ही उस सत्र की द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।
- 12.2 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल में किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूरक घोषित नहीं किया जावेगा अर्थात् एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रत्येक विषय के सम्मुख अनुत्तीर्ण अंकित किया जावेगा।
- 12.3 जिस संस्था के माध्यम से प्रथम परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन-पत्र भरा गया हो, उसी संस्था के माध्यम से द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन-पत्र निर्धारित समयावधि में भरना अनिवार्य होगा।
- 12.4 ऐसे छात्रों के लिए, जो मण्डल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों, वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। किन्तु अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विषय में आवेदन-पत्र भरना अनिवार्य होगा।
- 12.5 प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में, द्वितीय परीक्षा में, सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे।
- 12.6 द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक/आंतरिक परीक्षा में केवल इस भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही पुनः सम्मिलित हो सकेंगे अर्थात् प्रायोगिक/आंतरिक भाग में उत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। (द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में प्रथम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित किये गये अंक द्वितीय परीक्षा के लिये कैरी ओवर किये जायेंगे।)
- 12.7 द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन-पत्र भरना अनिवार्य होगा, किन्तु द्वितीय परीक्षा के दौरान, छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 12.8 द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का परीक्षाफल मुख्य व द्वितीय परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ अंको के आधार पर तैयार किया जावेगा। अर्थात् यदि किसी छात्र के मुख्य परीक्षा में किसी विषय में 60 अंक थे, तथा द्वितीय परीक्षा में उसी विषय में 40 अंक प्राप्त हुये हैं, तो द्वितीय परीक्षा के परिणाम में, उस छात्र को 60 अंक की ही अंकसूची जारी की जावेगी।
- 12.9 ऐसे छात्र जो मण्डल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों, अंकों की पुर्नगणना के लिए मण्डल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।
- 12.10 द्वितीय अवसर परीक्षा में वही कृपांक नीति मान्य होगी जो प्रथम मुख्य परीक्षा में मान्य है।
- 12.11 केवल प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी एवं प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना/पुर्नगणना के पश्चात स्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी। द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम की कोई भी प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जावेगी।
- 12.12 प्रथम मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित छात्रों (अंक सुधार हेतु उत्तीर्ण छात्रों एवं समस्त अनुत्तीर्ण छात्रों) को छोड़कर शेष प्रथम मुख्य परीक्षा के छात्रों की अंकसूची मुद्रित कर जारी की जावेगी। समस्त परीक्षार्थियों (द्वितीय परीक्षा का चयन करने वाले छात्रों सहित) की प्रथम परीक्षा की अंकसूचियां डिजीलॉकर में उपलब्ध रहेगी। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को अंकसूची द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर जारी की जावेगी।
- 12.13 द्वितीय परीक्षा की अंकसूची भी मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जायेगी अर्थात् द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख किसी भी प्रकार का विशेष चिन्ह मुद्रित नहीं किया जावेगा, किन्तु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा में रूप में संबोधित किया जायेगा।

- 12.14 प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ की जायेगी। यदि द्वितीय परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में छात्र को प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम का इंतजार किये बिना परीक्षार्थियों को द्वितीय अवसर परीक्षा का आवेदन भरना होगा। द्वितीय परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम घोषित होते है तो परीक्षार्थी के किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 12.15 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में विषय/विषयों में अंक सुधार के लिये सम्मिलित होते है और अंक सुधार कर लेते है या अंकों में सुधार नहीं होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में पुनः नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- 12.16 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा सत्र 2026-27 में सम्मिलित होने के लिए निम्नानुसार शुल्क जमा करना होगा-
- एक विषय हेतु- रुपये 500/-
 - दो विषय हेतु- रुपये 1,000/-
 - तीन/चार विषयों तक- रुपये 1,500/-
 - चार विषय से अधिक- रुपये 2,000/-
- 12.17 द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त प्राप्तांको से असंतुष्ट छात्र/छात्रायें निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नगणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
- 12.18 ऐसे छात्रों को, जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक, मण्डल या महाविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी।

13. विषय/माध्यम/समूह का चयन एवं परिवर्तन (मण्डल विनियम की कण्डिका 207)

- 13.1 कक्षा 9 वीं के आधार पर 10वीं में तथा कक्षा 11वीं के आधार पर 12वीं में अर्थात् छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में जो विषय भरे हैं, वही विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में भर सकेंगे। विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किया जाए। कक्षा 12वीं में डायवर्सिफाईड समूह में विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें। पाठ्यक्रम का भली-भाँति अध्ययन कर छात्रों से विषय चयन करावें। ऑनलाईन आवेदन करते समय विषय कोड लिस्ट से जांच कर विषय कोड भरा जावे। कक्षा 9वीं/11वीं में चयनित विषय/माध्यम/समूह में परिवर्तन निर्धारित शुल्क के साथ नियत अवधि तक Online संशोधित किया जा सकेगा।
- 13.2 हाईस्कूल परीक्षा के लिये निर्धारित भाषा विषयों में से कोई भी तीन भाषा विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य है किन्तु एन.एस.क्यू.एफ. विषयों का चयन करने वाले छात्र निर्धारित भाषा विषयों में से कोई दो भाषा विषयों का चयन कर सकेंगे।
- 13.3 CWSN (Children with special need) छात्र गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन वादन अथवा तबला पखावज अथवा कम्प्यूटर विषय में से कोई एक विषय ले सकेंगे तथा परीक्षार्थियों को तीन भाषाओं में छूट प्रदान की गई है, यह परीक्षार्थी किसी एक भाषा का चयन कर सकेंगे।

- 13.4 हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा विषय लेना अनिवार्य है। CWSN (Children with special need) छात्रों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा लेना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों का एक भाषा विषय से छूट लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- 13.5 मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा दायर याचिका क्रमांक W.P. 604/2024 में भी आदेश प्रसारित किये गये है कि, कक्षा 9वीं के आधार पर 10वीं में तथा कक्षा 11वीं के आधार पर 12वीं में अर्थात् छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में जो विषय भरे हैं, वही विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में भर सकेंगे।
- 13.6 हाईस्कूल मुख्य परीक्षा 10वीं में गणित BASIC का चयन कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली विद्यार्थी जो कक्षा 11वीं में गणित विषय के साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को बोर्ड द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा में गणित STANDARD विषय का चयन कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

14. अन्य राज्य/मण्डलों के छात्रों का मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश (मण्डल विनियम की कण्डिका 122)

समकक्षता प्राप्त अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्र क्रमशः 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2025 में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अथवा वर्ष 2025 कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण हो, यथास्थिति कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा में सीधे अस्थाई प्रवेश ले सकेंगे। ऐसे समस्त परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र/नामांकन आवेदन-पत्र के साथ पात्रता दस्तावेज संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। संस्था प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि, परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सुनिश्चित करें की छात्र मण्डल के ग्राह्यता विनियम अनुसार प्रवेश एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र है।

15. श्रेणी सुधार के लिए प्रवेश लेने हेतु निर्देश (मण्डल विनियम की कण्डिका 212)

- 15.1 नियमित छात्र के रूप में श्रेणी सुधार/अंक सुधार हेतु सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में केवल माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल से उत्तीर्ण छात्र ही मण्डल परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस योजना में केवल एक ही अवसर का लाभ मिलेगा। इसमें विषय परिवर्तन का लाभ नहीं दिया जावेगा।
- 15.2 श्रेणी सुधार में सम्मिलित होने वाले छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं में हायर सेकेण्डरी परीक्षा के अंकों के अधिभार को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल की परीक्षा समिति में हुए निर्णयानुसार 01 अंक की वृद्धि होने अथवा श्रेणी परिवर्तन होने पर ही नवीन परीक्षाफल तैयार किया जावेगा, तथा पुरानी अंकसूची वापस प्राप्त होने पर नवीन अंकसूची प्रदाय की जावेगी।
- 15.3 मण्डल परीक्षा में श्रेणी सुधार का लाभ अन्य राज्य/अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को नहीं दिया जावेगा

**16. अतिरिक्त विषय/विषयों का चयन
(मण्डल विनियम की कण्डिका 105)**

- 16.1 अतिरिक्त विषय/विषयों का चयन मण्डल की कक्षा 12वीं परीक्षा में प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किसी भी एक विषय (जो मुख्य विषय में चयन नहीं किया गया हो) के रूप में लिया जा सकता है।
- 16.2 वह अभ्यर्थी जिसने मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उसी पाठ्यक्रम की अगली परीक्षा में उत्तीर्ण विषय या विषयों को छोड़कर, एक या अधिक विषयों में स्वाध्यायी रूप से बैठ सकेगा परंतु विषय या विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग के ही विषय या विषयों तक सीमित होगा। साथ ही ऐसे छात्र मण्डल की किसी अन्य पूर्ण या आंशिक प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा हो।

**17. नामांकन
(मण्डल विनियम 1994)**

- 17.1 मण्डल की समस्त सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन होना अनिवार्य है। अन्य बोर्ड/अन्य राज्यों के छात्र के नामांकन हेतु आवश्यक कार्यवाही Online के माध्यम से दिनांक 30 जनवरी 2027 तक अनिवार्य रूप से करेंगे।
- 17.2 कक्षा 9वीं में नवीन प्रवेशित छात्रों के नामांकन Online किया जाएगा। नामांकन की प्रविष्टि Kiosk पर कराते समय छात्र की जानकारी सावधानी से त्रुटि रहित भरी जावे। ऑनलाइन नामांकन दिनांक 15.05.2026 से 31.01.2027 तक निर्धारित है। पोर्टल शुल्क प्रति छात्र ₹25/- पृथक से देय होगा।
- 17.3 कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिये Online नामांकन क्रमांक आवंटन की श्रृंखला (सिरीज) निम्नानुसार रहेंगी—
- (अ) कक्षा 9वीं के लिये **A-26/संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (ब) कक्षा 10वीं के लिये **B-26/संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (स) कक्षा 11वीं के लिये **C-26/संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (द) कक्षा 12वीं के लिये **D-26/संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (इ) कक्षा 10वीं स्वाध्यायी छात्रों के लिये **E-26/अग्रेषण संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (ई) कक्षा 12वीं स्वाध्यायी छात्रों के लिये **F-26/अग्रेषण संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- } अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के
नियमित छात्र के लिए

18. अध्ययन अन्तराल

कक्षा 8वीं एवं 10वीं में उत्तीर्ण छात्र क्रमशः कक्षा 9वीं एवं 11वीं में नियमित प्रवेश के लिये अध्ययन अन्तराल दो वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिये, अर्थात् दो वर्ष अनुत्तीर्ण अथवा अध्ययन अन्तराल मान्य होगा, दोनों ही परिस्थिति मान्य नहीं होगी। लगातार तीन वर्ष का अन्तराल अथवा तीन वर्ष एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा एक ही कक्षा में दो वर्ष अध्ययन अन्तराल व दो वर्ष अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्र मण्डल की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

19. नियमित छात्रों की उपस्थिति (मण्डल विनियम की कण्डिका 203, 208, 209, 210)

मण्डल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। छात्र की 75% से कम उपस्थिति होने पर मण्डल विनियम अनुसार विभिन्न प्राधिकारी द्वारा 10% की छूट दिये जाने का प्रावधान है, जो स्वयमेव लागू रहेगी, इनके लिये पृथक से ओवदन प्रस्तुत नहीं करना होगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. में राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र/छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में 60% उपस्थिति अनिवार्य होगी। राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि छात्र/ छात्राओं को यह अवधि खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित कुल वास्तविक दिनों के उपस्थिति दिवस के रूप में मान्य की जावेगी। कमी उपस्थिति वाले छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की पात्रता न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त होने पर एवं अतिरिक्त शुल्क ₹150/- ऑनलाईन अदा करने पर स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे छात्रों की सूची रोलनम्बर सह संस्था प्राचार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिनांक 10.01.2027 से 31.01.2027 तक Online के द्वारा मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

20. प्रायोगिक परीक्षायें

नियमित परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षायें उनकी अध्ययनरत संस्थाओं पर मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि में आयोजित की जायेंगी। इस हेतु बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व अनिवार्यतः जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जावें।

21. परीक्षा केन्द्र का निर्धारण

एम सी सी क्रमांक-203/2001 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2001 के अनुसार जिला योजना समिति से अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों के प्रस्ताव मण्डल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि प्रथम पृष्ठ पर अंकित है।

22. अनुचित साधन (परीक्षा अधिनियम 1937)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में सामूहिक नकल/ व्यक्तिगत नकल पूर्ण संकल्प एवं दृढता से रोकी जाना है। "मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षायें अधिनियम 1937" की धारा "डी" के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोगकरता है अथवा करवाता है उसको तीन साल का कारावास अथवा पाँच हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। अतः छात्रों को इस दुष्प्रवृत्ति से दूर रहने हेतु प्रेरित करे। अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले छात्र एवं सामूहिक नकल परीक्षा केन्द्र पर प्रमाणित होने पर मण्डल ऐसे छात्रों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त करने की कार्यवाही करेगा।

23. परीक्षा शुल्क वापसी
(मण्डल विनियम की कण्डिका 111, 112, 113)

- 23.1 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो जाए या पूरी/आंशिक परीक्षा में उपस्थित न हो अपनी फीस वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- 23.2 ऐसे मामलों में शुल्क वापस नहीं की जावेगी, जहां अभ्यर्थी को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो अथवा झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो अथवा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो अथवा पात्रता परीक्षा निर्धारित अवधि के पश्चात् उत्तीर्ण होने पर अपात्र घोषित किया गया हो।
- 23.3 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व छात्र की मृत्यु होने पर संस्था प्राचार्य के माध्यम से माता-पिता को फीस वापस की जावेगी।

24. स्थानांतरण प्रकरण

किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है तो छात्र को संस्था में उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा, जब छात्र द्वारा निर्धारित तिथि तक नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो। इन प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की सूचना संबंधित शाला के नवीन प्राचार्य द्वारा दिनांक 31.12.2026 तक मण्डल मुख्यालय में सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

25. नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क में रियायत
(मण्डल विनियम की कण्डिका 110)

- 25.1 सी.डबल्यू.एस.एन. श्रेणी के परीक्षार्थियों को - सम्पूर्ण शुल्क से छूट
C.M.H.O. द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण
- 25.2 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण -संस्थाओं के - सम्पूर्ण शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में
सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)
मध्यप्रदेश के शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियां परीक्षार्थी।
(प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी)
- 25.3 मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियां - सम्पूर्ण शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में
परीक्षार्थी (प्रमाणीकरण-मण्डल मुख्यालय एवं संबंधित बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)
संभागीय अधिकारी)
- 25.4 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में - अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट (यदि परीक्षा
कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की पुत्रियां परीक्षार्थिनी। में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।
प्रमाणीकरण- जिला शिक्षा अधिकारी)
- 25.5 महिला परीक्षार्थिनी जिनके अभिभावकों की सभी - अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट (यदि परीक्षा
स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹15,000/-से अधिक नहीं में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।
है। (तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र)

- 25.6 (i) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है। - (i) केवल प्रथम अवसर के लिये संपूर्ण परीक्षा शुल्क छूट।
- (ii) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं है। - (ii) सम्बन्धित जिले में शासन द्वारा अनुसूचित जाति/ जन जाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों के लिए यह छूट रहेगी।
- 25.7 स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र/771/843/2017/20-2, भोपाल दि. 17.04.17 के अनुसार कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। सम्पूर्ण शुल्क से छूट।
- 25.8 पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के बच्चों को शुल्क में रियायत (म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-10 पार्ट 4/2018/20-2 भोपाल दि. 24.03.18 एवं क्रमांक एफ 44-10/2018/20-2 भोपाल दि. 30.07.18) - संपूर्ण शुल्क से छूट।

शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया

(iii) आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/शिक्षा-3/2013/2690 भोपाल दिनांक 12.07.13 के अनुसार कक्षा 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों का परीक्षा शुल्क शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त कर मण्डल को परीक्षा फार्म भरते समय भुगतान करेंगे तथा अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की परीक्षा शुल्क नोडल संस्था के निकट की शासकीय संस्था के प्राचार्य से प्राप्त कर मंडल को जमा करेंगे।

(iv) कक्षा 10वीं के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति के छात्रों की परीक्षा शुल्क गतवर्षानुसार संबंधित विभाग से दी गई शुल्क छूट की राशि का भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

प्रमाणीकरण-एस.डी.ओ./सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, परियोजना प्रशासन अधिकारी (वृहत/ माध्यम /लघु) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग

- नोट:- 1. किसी भी श्रेणी में शुल्क छूट प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र अथवा संबंधित प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अथवा किसी योजना के तहत जारी पंजीयन कार्ड परीक्षा आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना तथा मूलप्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संभागीय कार्यालय में समन्वयक संस्था के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा। वांछित दस्तावेज जमा न करने अथवा संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र अमान्य किये जाने की स्थिति में निर्धारित संपूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे छात्रों की अंकसूचियां जारी नहीं की जा सकेगी।
2. ऐसे प्रकरणों के समस्त प्रमाणित दस्तावेज परीक्षा फार्म भरने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् सात दिवस में समन्वय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

26. संस्था/परीक्षार्थी निम्न माध्यमों से परीक्षाओं की शुल्क जमा कर सकते हैं :-

- 26.1 निकटस्थ mponline के अधिकृत किसी भी निजी कियोस्क पर जाकर निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जस का नगद भुगतान करते हुए अथवा mponline की वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन किया जा सकता है।
- 26.2 संस्था प्राचार्य प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर छात्रों की पात्रता की जांच करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। छात्र उपरोक्त निर्देशों से भलिभांति अवगत हो सके इसके लिए निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी किये जाए।


27. हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी सम्बद्धता

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा में नियमित रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये शासन से मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त मण्डल से नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा। सम्बद्धता हेतु ऑनलाईन शुल्क जमा करने के लिये निम्नानुसार तिथि नियत की जाती हैं:-

स.क्र.	विवरण	तिथि
(अ)	नवीन सम्बद्धता 9वीं/11वीं	दिनांक 15.05.2026 से 12.08.2026 तक
(ब)	सम्बद्धता नवीनीकरण 10वीं/12वीं	दिनांक 15.05.2026 से 31.10.2026 तक

28- मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क विवरण

स.क्र	विवरण	नवीन शुल्क
1	परीक्षा शुल्क (नियमित संपूर्ण विषय)	₹1,500/-
	परीक्षा शुल्क (स्वाध्यायी संपूर्ण विषय)	₹1,600/-
2	नामांकन शुल्क कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एवं डी.एल.एड. प्रथम वर्ष परीक्षा हेतु	₹500/-
3	अतिरिक्त विषय हेतु (प्रति विषय)	₹700/-
4	द्वितीय परीक्षा हेतु	
	एक विषय	₹500/-
	दो विषय	₹1,000/-
	तीन/चार विषय तक	₹1,500/-
	चार विषय से अधिक	₹2,000/-
5	डी. एल. एड. (नियमित संपूर्ण विषय) परीक्षा शुल्क-	₹7,000/-
6	डी. एल. एड. परीक्षा द्वितीय अवसर -	
	दो विषय तक	₹3,000/-
	चार विषय तक	₹5,000/-
	चार से अधिक विषय	₹7,000/-
7	ग्राह्यता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु)	₹1,200/-
8	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क	₹1,000/-
9	विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन (प्रति विषय) शुल्क	₹700/-
10	प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माइग्रेसन (10 वर्ष के अभिलेख)	₹1,000/-
11	प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माइग्रेसन (10 वर्ष से पुराने अभिलेख)	₹1,200/-
12	सत्यापन-अंकसूची/प्रमाण पत्र/माइग्रेसन (10 वर्ष तक)	₹1,000/-
13	सत्यापन-अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माइग्रेसन (10 वर्ष से पुराने)	₹1,200/-
14	अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माइग्रेसन में संशोधन (परीक्षाफल घोषणा से 03 माह तक)	नि:शुल्क
15	अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माइग्रेसन में संशोधन (03 माह से 01 वर्ष तक) प्रति अभिलेख	₹600/-
16	अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माइग्रेसन में संशोधन (01 वर्ष से पुराने) प्रति अभिलेख	₹1,000/-
17	पुनर्गणना हेतु	₹400/-
18	उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु	₹350/-
19	हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी सम्बद्धता शुल्क-	
	10वीं नवीन सम्बद्धता	₹20,000/-
	12वीं नवीन सम्बद्धता	₹27,000/-
	10वीं नवीनीकरण	₹7,000/-
	12वीं नवीनीकरण	₹9,000/-
20	डी.एल.एड. की सम्बद्धता शुल्क -	
1	डी. एल.एड की परीक्षा हेतु प्रथम बार की नवीन सम्बद्धता शुल्क	₹2,00,000/-
	प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के नवीन अतिरिक्त इंटेक हेतु	₹2,00,000/-
2	डी.एल.एड. की परीक्षा हेतु सम्बद्धता नवीनीकरण के लिए शुल्क	
	प्रतिवर्ष प्रति 50 विद्यार्थियों के इंटेक हेतु	₹30,000/-
	प्रतिवर्ष प्रति 100 विद्यार्थियों के इंटेक हेतु	₹60,000/-
	प्रतिवर्ष प्रति 150 विद्यार्थियों के इंटेक हेतु	₹90,000/-


 (बुद्धेश-कुमार वैद्य)
 सचिव
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
 * मध्यप्रदेश, भोपाल

घोषणा-पत्र

प्राचार्य.....

संस्था कोड.....जिला.....

कक्षा 9वीं.....10वीं.....11वीं.....12वीं

छात्रों ने अपने संस्था में अध्ययनरत छात्रों के ओवदन-पत्रों की शाला रिकार्ड से जाँच कर ली है, सभी छात्रों की जानकारी (फोटो, माध्यम व विषय) में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। छात्रों एवं अभिभावकों से भी डमी प्रवेश-पत्र जाँच कराकर हस्ताक्षर लेने उपरान्त शाला रिकार्ड में सुरक्षित रख लिया है।

प्राचार्य

.....
.....
.....



अनुसूचित जाति/जनजाति के परीक्षार्थी के नाते परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान करने विषयक प्रपत्र।

1- परीक्षार्थी का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ कि मैं ग्राम.....तहसील.....जिला.....का/की मूल निवासी हूँ। मेरी अनुसूचित जाति/जनजाति.....(उपजाति/उपजनजाति.....है) तथा मेरा धर्म..... है। मेरी अनुसूचित जाति/जनजाति सूची के स.क्र.....पर अंकित है।

1. मण्डल की वर्ष.....की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठने का मेरा पहला अवसर है।
2. मेरी तथा मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से -
(अनुसूचित जाति) वार्षिक आय रु. 1.00 (एक लाख) से अधिक नहीं है।
(अनुसूचित जनजाति) वार्षिक आय रु. 2.50 (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं है।
3. अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

दिनांक.....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम

2. नियमित हेतु शाला के प्राचार्य का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....को इस शाला में वर्ष.....की कक्षा.....में प्रवेश दिया गया था। शाला के अभिलेख के अनुसार छात्र/छात्रा की अनुसूचित जाति/जनजाति.....(उपजाति/उपजनजाति.....है।) छात्र/छात्रा का धर्म.....है।

1. छात्र/छात्रा का मण्डल की वर्ष.....की हाईस्कूल/हा0 से0 परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र की मेरे द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके अनुसार छात्र एवं उसके परिवार की समस्त स्रोतों से -
(अनुसूचित जाति) वार्षिक आय रु. 1.00 (एक लाख) से अधिक नहीं है।
(अनुसूचित जनजाति) वार्षिक आय रु. 2.50 (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं है।
3. छात्र द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की मेरे द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। जिसका मैंने मूल जाति प्रमाण-पत्र से मिलान कर लिया है।

शाला प्राचार्य/अग्रोषण
अधिकारी
(संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर)
एवं पद मुद्रा

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

नोट:-

- (1) मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का क्रमांक/एफ-12/65/2008/4/25 भोपाल दिनांक 02.03.2009 एवं पत्र क्रमांक एफ-12-6/2007/दो/पच्चीस, दिनांक 28.02.2008
- (2) कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/पीएमएस/46/2022/15483 भोपाल, दिनांक 27/07/2022
- (3) राज्य शासन द्वारा तद् विषयक जाति/आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति/आय प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
1. कलेक्टर/एडीशनल कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, 2. तहसीलदार 3. नायब तहसीलदार 4. परियोजना प्रशासन/ अधिकारी, (वृहत/मध्यम/लघु) एकीकृत आदिवासी विकास, परियोजना

परीक्षा शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र का नमूना

(1) राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिका के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....
राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिका/श्री/कुमारी.....
के पुत्र/पुत्री है।
श्री/कुमारी..... का वर्ष..... का परीक्षा
में बैठने का प्रथम अवसर है।

जिला शिक्षा अधिकारी
शिक्षा विभाग
जिला.....(मध्यप्रदेश)
पद मुद्रा सहित

दिनांक.....

(2) मण्डल से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सेवा निवृत्त शिक्षक के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....
मण्डल से मान्यता प्राप्त..... उच्चतर माध्यमिक विद्यालय.....
से सेवा निवृत्त शिक्षक श्री/श्रीमती..... के
पुत्र/पुत्री है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/कुमारी..... का वर्ष..... का परीक्षा
में बैठने का प्रथम अवसर है।

जिला शिक्षा अधिकारी
शिक्षा विभाग
जिला.....(मध्यप्रदेश)
पद मुद्रा सहित

दिनांक.....

(3) मण्डल से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी.....
मण्डल से मान्यता प्राप्त..... उच्चतर माध्यमिक विद्यालय.....
में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका श्री /श्रीमती..... की
पुत्री है।
कुमारी..... का वर्ष..... का परीक्षा में
बैठने का प्रथम अवसर है।

प्रति हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग
जिला.....(मध्यप्रदेश)
पद मुद्रा सहित

संबंधित प्राचार्य
(हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित)

दिनांक.....

(4) आय प्रमाण पत्र

(महिला परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क से छूट हेतु आय प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती.....
पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....
की है।
इनके पालक/अविभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 15000/- (रु. पन्द्रह हजार) से कम
है।
वर्ष..... की परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।

कार्यालय मुख्याधिकारी
अथवा
रेवेन्यू अधिकारी
(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा सहित)

दिनांक.....

BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGH SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION YEAR- 2026 -27
SUBJECT CODE LIST CLASS - IX

S.N.	LANGUAGE (Any Three of the following)	SUB CODE
1	हिन्दी (Hindi)	401
2	अंग्रेजी (English)	411
3	मराठी (Marathi)	502
4	गुजराती (Gujrati)	504
5	पंजाबी (Punjabi)	507
6	उर्दू (Urdu)	508
7	सिन्धी (Sindhi)	509
8	संस्कृत (Sanskrit)	512
COMPULSORY SUBJECT		
9	गणित (स्टेण्डर्ड) Mathematics (Standard)	100
10	गणित (बेसिक) Mathematics (Basic)	101
11	विज्ञान (Science)	200
12	सामाजिक विज्ञान (Social Science)	300
CWSN (Children with special need) (Any one of the following)		
13	चित्रकला (Painting)	162
14	गायन वादन (Gayan vadan)	163
15	तबला पखावज (Tabla Pakhavaj)	164
16	कम्प्यूटर (Computer)	165
NSQF SUBJECTS (OPTIONAL)		
17	IT - ITeS (Domestic Data Entry Operator)	863
18	Private Security	864
19	Beauty and Wellness	865
20	Retail	870
21	Apparel Made-ups and Home Furnishing	872
22	Agriculture	873
23	Automotive (Four Wheeler Service Assistant Level-3)	875
24	Banking Financial Services & Insurance (Bfsi)	876
25	Electronics and Hardware (Junior Field Technician Home Appliances)	878
26	Plumbing	879
27	Travel, Tourism & Hospitality	880
28	Physical Education	881
29	Health Care	882
30	Automotive (Electric Vehicle Service Technician)	883
31	Construction	884
32	Electronics and Hardware (Assistant Installation Computing and Peripherals)	885
33	IT - ITeS (Artificial Intelligence Assistant)	886
34	Management & Entrepreneurship and Professional Skills	887
35	Food Processing	888
36	Media and Entertainment	889

नोट :-

- कक्षा 9वीं की परीक्षा के लिये निर्धारित भाषा विषयों में से कोई भी तीन भाषा विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य है किन्तु एन.एस.क्यू.एफ. विषयों का चयन करने वाले छात्र निर्धारित भाषा विषयों में से कोई दो भाषा विषयों का चयन कर सकेंगे।
- CWSN (Children with special need)** छात्र गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन वादन अथवा तबला पखावज अथवा कम्प्यूटर विषय में से कोई एक विषय ले सकेंगे।
- CWSN (Children with special need)** परीक्षार्थियों को तीन भाषाओं में से दो भाषाओं में छूट प्रदान की गई है। परन्तु इन परीक्षार्थियों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक भाषा विषय लेना अनिवार्य होगा।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGH SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION YEAR- 2026 -27
SUBJECT CODE LIST CLASS - X

S.N.	LANGUAGE (Any Three of the following)	SUB CODE
1	हिन्दी (Hindi)	401
2	अंग्रेजी (English)	411
3	मराठी (Marathi)	502
4	गुजराती (Gujrati)	504
5	पंजाबी (Punjabi)	507
6	उर्दू (Urdu)	508
7	सिन्धी (Sindhi)	509
8	संस्कृत (Sanskrit)	512
COMPULSORY SUBJECT		
9	गणित (स्टेण्डर्ड) Mathematics (Standard)	100
	or	
10	गणित (बेसिक) Mathematics (Basic)	101
11	विज्ञान (Science)	200
12	सामाजिक विज्ञान (Social Science)	300
CWSN (Children with special need) (Any one of the following)		
13	चित्रकला (Painting)	162
	or	
14	गायन वादन (Gayan vadan)	163
	or	
15	तबला पखावज (Tabla Pakhavaj)	164
	or	
16	कम्प्यूटर (Computer)	165
NSQF SUBJECTS (OPTIONAL)		
17	IT - ITeS (Domestic Data Entry Operator)	863
18	Private Security	864
19	Beauty and Wellness	865
20	Retail	870
21	Apparel Made-ups and Home Furnishing	872
22	Agriculture	873
23	Automotive (Four Wheeler Service Assistant Level-3)	875
24	Banking Financial Services & Insurance (BFSI)	876
25	Electronics and Hardware (Junior Field Technician Home Appliances)	878
26	Plumbing	879
27	Travel, Tourism & Hospitality	880
28	Physical Education	881
29	Health Care	882
30	Automotive (Electric Vehicle Service Technician)	883
31	Construction	884
32	Electronics and Hardware (Assistant Installation Computing and Peripherals)	885
33	IT - ITeS (Artificial Intelligence Assistant)	886
34	Management & Entrepreneurship and Professional Skills	887
35	Food Processing	888
36	Media and Entertainment	889

नोट :-

1. हाईस्कूल परीक्षा के लिये निर्धारित भाषा विषयों में से कोई भी तीन भाषा विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य है किन्तु एन.एस.क्यू.एफ. विषयों का चयन करने वाले छात्र निर्धारित भाषा विषयों में से कोई दो भाषा विषयों का चयन कर सकेंगे।
2. **CWSN (Children with special need)** छात्र गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन वादन अथवा तबला पखावज अथवा कम्प्यूटर विषय में से कोई एक विषय ले सकेंगे।
3. **CWSN (Children with special need)** परीक्षार्थियों को तीन भाषाओं में से दो भाषाओं में छूट प्रदान की गई है। परन्तु इन परीक्षार्थियों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक भाषा विषय लेना अनिवार्य होगा।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION YEAR- 2026-27
SUBJECT CODE LIST CLASS XI

S.N.	SUBJECTS	CODE
LANGUAGE Any Two of the following		
1	Hindi	051
2	English	052
3	Sanskrit	053
4	Marathi	054
5	Urdu	055
DIVERSIFIED SUBJECTS (Candidate shall offer three subjects from any one of the following groups)		
HUMANITIES GROUP		
GROUP CODE - 1 A - (At least two or three subjects shall be offered from the following)		
6	History	110
7	Geography	120
8	Political Science	130
9	Economics	140
B - Any one of the following if only two subjects offered from part A		
	Mathematics	150
10	Informatic Practices	151
11	Drawing & Designing	152
12	गायन वादन	153
13	तबला पखावज	154
14	Agriculture	155
15	Sociology	166
16	Psychology	167
17	Home Science (Anat. Phys. & Hygins)	168
SCIENCE MATHS GROUP		
GROUP CODE - 2		
18	Physics	210
19	Chemistry	220
20	Mathematics	150
COMMERCE GROUP		
GROUP CODE - 3		
21	Business Studies	310
22	Book Keeping & Accountancy	320
(Any one Subject from following)		
	Mathematics	150
23	Informatic Practices	151
24	Economics	140
AGRICULTURE GROUP		
GROUP CODE - 4		
25	Element of Science & Maths Useful for Agriculture	410
26	Crop Production & Horticulture	420
27	Animal Hus.Milk trade, Poultry farming & fishery	430
FINE ART GROUP		
GROUP CODE - 5		
28	Drawing & Painting	510
29	Still life & Designe	520
30	History of Indian Art & World Art	530
HOME SCIENCE GROUP		
GROUP CODE - 6		
31	HomeManagement Nutrition & Textile	610
32	Anatomy physiology & Health	620
33	Elements of Science	631
SCIENCE BIO. GROUP		
GROUP CODE - 7		
	Physics	210
	Chemistry	220
34	Biology	231
LANGUAGE GROUP		
GROUP CODE - 8		
A - (Any one language not already offered as language)		
	Hindi	051
	English	052
	Sanskrit	053
	Urdu	055
B - (Any two from the following)		
	History	110
	Geography	120
	Political Science	130
	Economics	140
	Sociology	166

ADDITIONAL SUBJECT (OPTIONAL) (Any one subject not already offered)		
	Book Keeping & Accountancy	820
	Biology	831
35	Biotechnology	832
36	Physical Education	833
	Mathematics	850
	Informatic Practices	851
	Drawing & Designing	852
	गायन वादन	853
	तबला पखावज	854
NSQF SUBJECT (OPTIONAL)		
37	Beauty and Wellness	965
38	Retail	970
39	Health Care	972
40	Agriculture (Floriculturist)	973
41	Plumbing	974
42	IT - ITeS (Junior Software Developer)	975
43	Agriculture (Micro Irrigation Technician)	977
44	Media and Entertainment	978
45	Electronics and Hardware (Drone Service Technician)	979
46	Electronics and Hardware (Solar Panel Installation Technician)	980
47	Private Security	981
48	Banking Financial Services & Insurance (Bfsi)	982
49	Apparels, Made Ups and Home Furnishing (Self Employed Tailor)	983
50	Travel, Tourism & Hospitality	985
51	Automotive	986
52	Apparel Made ups and Home Furnishing (Assistant Fashion Designer)	988
53	Construction	989
54	Electronics and Hardware (Field Technician Computing and Peripherals)	990
55	IT - ITeS (Web Developer)	991
56	Management & Entrepreneurship and Professional Skills	992
57	Physical Education	993
58	Food Processing	994
EFA (Education for All 53 Schools Only)		
59	AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	987
<p>NSQF के तहत व्होकेशनल पाठ्यक्रम का विकल्प लेने वाले छात्र अतिरिक्त विषय के अंतर्गत चयन कर सकेंगे। 051 Hindi 052 English</p> <p align="center">FOR INTERNAL EXAMINATION ONLY</p> <p>1. Environmental Education & Disaster Management 2. S.U.P.W. or Vocational Training of a Trade 3. Physical Education or N.C.C./N.S.S./Scout & Guide</p> <p>(NSQF के तहत केवल व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शासकीय संस्थाओं के लिए) व्यावसायिक शिक्षा के विषय हायर सेकण्डरी परीक्षा (कक्षा 11वीं) में द्वितीय भाषा के स्थान पर लिए जा सकते हैं।</p>		

नोट:- हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा 11वीं) में हिन्दी अथवा अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। **CWSN (Children with special need)** छात्रों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा लेना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों को एक भाषा विषय से छूट लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION YEAR- 2026-27
SUBJECT CODE LIST CLASS XII

S.N.	SUBJECTS	CODE
LANGUAGE Any Two of the following		
1	Hindi	051
2	English	052
3	Sanskrit	053
4	Marathi	054
5	Urdu	055
DIVERSIFIED SUBJECTS (Candidate shall offer three subjects from any one of the following groups)		
HUMANITIES GROUP		
GROUP CODE - 1 A - (At least two or three subjects shall be offered from the following)		
6	History	110
7	Geography	120
8	Political Science	130
9	Economics	140
B - Any one of the following if only two subjects offered from part A		
	Mathematics	150
10	Informatic Practices	151
11	Drawing & Designing	152
12	गायन वादन	153
13	तबला पखावज	154
14	Agriculture	155
15	Sociology	166
16	Psychology	167
17	Home Science (Anat. Phys. & Hygins)	168
SCIENCE MATHS GROUP		
GROUP CODE - 2		
18	Physics	210
19	Chemistry	220
20	Mathematics	150
COMMERCE GROUP		
GROUP CODE - 3		
21	Business Studies	310
22	Book Keeping & Accountancy	320
(Any one Subject from following)		
	Mathematics	150
23	Informatic Practices	151
24	Economics	140
AGRICULTURE GROUP		
GROUP CODE - 4		
25	Element of Science & Maths Useful for Agriculture	410
26	Crop Production & Horticulture	420
27	Animal Hus.Milk trade, Poultry farming & fishery	430
FINE ART GROUP		
GROUP CODE - 5		
28	Drawing & Painting	510
29	Still life & Designe	520
30	History of Indian Art & World Art	530
HOME SCIENCE GROUP		
GROUP CODE - 6		
31	HomeManagement Nutrition & Textile	610
32	Anatomy physiology & Health	620
33	Elements of Science	631
SCIENCE BIO. GROUP		
GROUP CODE - 7		
	Physics	210
	Chemistry	220
34	Biology	231
LANGUAGE GROUP		
GROUP CODE – 8 A - (Any one language not already offered as language)		
	Hindi	051
	English	052
	Sanskrit	053
	Urdu	055
B - (Any two from the following)		
	History	110
	Geography	120
	Political Science	130
	Economics	140
	Sociology	166

S.N.	SUBJECTS	CODE
ADDITIONAL SUBJECT (OPTIONAL) (Any one subject not already offered)		
	Book Keeping & Accountancy	820
	Biology	831
35	Biotechnology	832
36	Physical Education	833
	Mathematics	850
	Informatic Practices	851
	Drawing & Designing	852
	गायन वादन	853
	तबला पखावज	854
NSQF SUBJECT (OPTIONAL)		
37	Beauty and Wellness	965
38	Retail	970
39	Health Care	972
40	Agriculture (Floriculturist)	973
41	Plumbing	974
42	IT - ITeS (Junior Software Developer)	975
43	Agriculture (Micro Irrigation Technician)	977
44	Media and Entertainment	978
45	Electronics and Hardware (Drone Service Technician)	979
46	Electronics and Hardware (Solar Panel Installation Technician)	980
47	Private Security	981
48	Banking Financial Services & Insurance (Bfsi)	982
49	Apparels, Made Ups and Home Furnishing (Self Employed Tailor)	983
50	Travel, Tourism & Hospitality	985
51	Automotive	986
52	Apparel Made ups and Home Furnishing (Assistant Fashion Designer)	988
53	Construction	989
54	Electronics and Hardware (Field Technician Computing and Peripherals)	990
55	IT - ITeS (Web Developer)	991
56	Management & Entrepreneurship and Professional Skills	992
57	Physical Education	993
58	Food Processing	994
EFA (EDUCATION FOR ALL 53 SCHOOLS ONLY)		
59	AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	987
<p>NSQF के तहत ब्लोकेशनल पाठ्यक्रम का विकल्प लेने वाले छात्र अतिरिक्त विषय के अंतर्गत चयन कर सकेंगे। 051 Hindi 052 English</p> <p align="center">FOR INTERNAL EXAMINATION ONLY</p> <p>1. Environmental Education & Disaster Management 2. S.U.P.W. or Vocational Training of a Trade 3. Physical Education or N.C.C./N.S.S./Scout & Guide</p> <p>(NSQF के तहत केवल व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शासकीय संस्थाओं के लिए) व्यावसायिक शिक्षा के विषय हायर सेकण्डरी परीक्षा में द्वितीय भाषा के स्थान पर लिए जा सकते हैं।</p> <p>नोट :- हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। CWSN (Children with special need) छात्रों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा लेना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों को एक भाषा विषय से छूट लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।</p>		

DPSE (विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा) EXAMINATION 2026 -27

SUBJECT CODE LIST - 2026 -27

विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (प्रथम वर्ष)

स.क्र.	विषय	विषय कोड
1	पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं उसका भारत में ऐतिहासिक विकास	701
2	बाल विकास	702
3	शिक्षण विधियाँ एवं साधन सामग्री	703
4	भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तथा सामाजिक अध्ययन	704

विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (द्वितीय वर्ष)

स.क्र.	विषय	विषय कोड
1	बाल स्वास्थ्य आहार, पोषण एवं बाल कल्याण	705
2	बाल मनोविज्ञान	706
3	बाल शाला प्रबन्ध एवं सामुदायिक जीवन	707
4	पर्यावरण विज्ञान गणित	708

SEX	MARITAL STATUS	CATEGORY	MEDIUM
MALE 1	MARRIED 1	SC 1	HINDI 1
FEMALE 2	UNMARRIED 2	ST 2	ENGLISH 2
		OBC 3	URDU 3
		UR 4	

CWSN :- (Children with special need) श्रेणी का विवरण पुस्तिका की कंडिका 6.6 अनुसार है।

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन वर्ष परीक्षा (प्रथम वर्ष)

स.क्र.	विषय	विषय कोड
1	बाल्यावस्था एवं बाल विकास Childhood and Development of Children	801
2	समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा Education in contemporary Indian Society	802
3	पूर्व बाल्यावस्था-परिचर्या एवं शिक्षा Early Childhood Care and Education	803
4	भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास Understanding Language and Early Language Development	804
5	पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण Pedagogy and IT Integration across the Curriculum	805
6	Proficiency in English	806
7	योग शिक्षा Yoga Education	807
8	मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा शिक्षण Pedagoge of Mother Tongue/Regional Language	
	क. हिन्दी भाषा शिक्षण Hindi Language Teaching	808
	ख. संस्कृत Sanskrit Teaching	809
	ग. मराठी Marathi Teaching	810
	घ. उर्दू Urdu Teaching	811
9	Pedagogy of English	812
10	गणित शिक्षण (प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक के लिये) Pedagogy of Mathematics Education (for Early Primary and primary school)	813

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन वर्ष परीक्षा (द्वितीय वर्ष)

स.क्र.	विषय	विषय कोड
1	संज्ञान अधिगम और बाल विकास Cognition Learning and the Development of Children	901
2	समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध Understanding of Society Education and Curriculum	902
3	शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे Emerging Gender and Inclusive Perspectives in Education	903
4	शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास School Culture, Leadership and Teacher Development	904
5	Proficiency in English	905
6	योग शिक्षा Yoga Education	906
7	पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण Pedagogy of Environmental Studies (for early Primary and Primary)	907
8	वैकल्पिक विषय शिक्षण (Optional Pedagogy Courses)	
	क. समाजिक विज्ञान शिक्षण Pedagogy of social science	908
	ख. अंग्रेजी भाषा शिक्षण Pedagogy of English Language	909
	ग. गणित शिक्षण Pedagogy of Mathematics	910
	घ. विज्ञान शिक्षण Pedagogy of science	911

संभाग, जिला एवं विकास खण्ड कोड की सूची वर्ष 2026 -27
DIVISION. DISTRICT & BLOCK CODE LIST- 2026 -27

1-Gwalior Division	2-Sagar Division	3-Rewa Division	4-Ujjain Division
District-11-Morena	District-21-Tikamgar	District-31-Satna	District-41-Mandsour
Block Block Code Name	Block Block Code Name	Block Block Code Name	Block Block Code Name
1101 - Morena	2101 - Tikamgarh	3101 - Satna (Suhawal)	4101 - Mandsour
1102 - Ambah	2102 - Baldeogarh	3102 - Chitrakoot (Majgava)	4102 - Sitamau
1103 - Porsa	-	3103 - Rampur Baghelan	4103 - Malhargarh
1104 - Joura	-	3104 - Nagod	4104 - Garoth
1105 - Pahadgarh	2105 - Jatara	3105 - Uchehara	4105 - Bhanpura
1106 - Sabalgarh	2106 - Palera	District-32-Rewa	District-42-Neemuch
1107 - Kailaras	District-22-Chhatarpur	3201 - Rewa	4201 - Neemuch
District-12-Sheopur	2201 - Chhatarpur	3202 - Raipur (Karchuliyan)	4202 - Jawad
1201 - Sheopur Kalan	2202 - Rajnagar	3203 - Mauganj	4203 - Manasa
1202 - Vijaypur	2203 - Nowgaon	3204 - Hanumana	District-43-Ratlam
1203 - Karahal	2204 - Laundi	3205 - Naigarhi	4301 - Ratlam
District-13-Bhind	2205 - Gaurihar	3206 - Teothar	4302 - Sailana
1301 - Bhind	2206 - Bijawar	3207 - Jawa	4303 - Bajna
1302 - Ater	2207 - Badamalhara	3208 - Sirmour	4304 - Jaora
1303 - Mehgaon	2208 - Bamswaha	3209 - Gangew	4305 - Piploda
1304 - Lahar	District-23-Panna	District-33-Shahdol	4306 - Alot
1305 - Mihona (Ron)	2301 - Panna	3301 - Sohagpur	District-44-Ujjain
1306 - Gohad	2302 - Gunnaor	3302 - Pali (No. 1)	4401 - Ujjain
District-14-Gwalior	2303 - Pawai	3303 - Beohari	4402 - Ghatiya
1401 - Murar	2304 - Shahnagar	3304 - Burhar	4403 - Badnagar
1402 - Ghatigaon	2305 - Ajaygarh	3305 - Jaisinghnagar	4404 - Khachrod
1403 - Dabra	District-24-Sagar	District-34-Umaria	4405 - Mahidpur
1404 - Bhitwar	2401 - Sagar	3401 - Umariya Karkeli	4406 - Tarana
District-15-Datia	2402 - Rahatgarh	3402 - Manpur	District-45-Shajapur
1501 - Datia	2403 - Jaisinagar	3403 - Gohparu (Pali No. 2)	4501 - Shajapur
1502 - Sewda	2404 - Rehli	District-35-Sidhi	4502 - Moman Badodiya
1503 - Bhandar	2405 - Deori	3501 - Sidhi	4503 - Agar
District-16-Shivpuri	2406 - Kesli	3502 - Sihawal	4504 - Badod
1601 - Shivpuri	2407 - Banda	3503 - Kusmi	4507 - Shujalpur
1602 - Kolaras	2408 - Shahgarh	3504 - Majholi	4508 - Kalapipal
1603 - Karera	2409 - Khurai	3505 - Rampur Naikin	District-46-Dewas
1604 - Narwar	2410 - Malthone	District-36-Anuppur	4601 - Dewas
1605 - Pohari	2411 - Bina	3601 - Anuppur	4602 - Sonkatch
1606 - Pichhore	District-25-Damoh	3602 - Pushprajgarh	4603 - Tonkchurd
1607 - Khaniyadhana	2501 - Damoh	3603 - Kotma	4604 - Kannod
1608 - Badarwas	2502 - Pathariya	3604 - Jaithari	4605 - Khategaon
District-17-Guna	2503 - Jabera	District-37-Singrauli	4606 - Bagali
1701 - Guna	2504 - Tendukheda	3701 - Devsar	District-47-Agar
1702 - Bamori	2505 - Hatta	3702 - Chitrangi	4701 - Agar
1703 - Chachoura	2506 - Patera	3703 - Baidhan	4702 - Baroud
1704 - Raghogarh	2507 - Batiyagarh	District-38-Maihar	4703 - Susner
1705 - Aron	District-26-Niwadi	3801 - Maihar	4704 - Nalkheda
District-18-Ashok Nagar	2601 - Niwadi	3802 - Amarpatan	
1801 - Ashok Nagar	2602 - Prathvipur	3803 - Ramnagar	
1802 - Isagarh	2603 - Orchha		
1803 - Mungaoli			
1804 - Chanderi			

संभाग, जिला एवं विकास खण्ड कोड की सूची वर्ष 2026 -27

DIVISION, DISTRICT & BLOCK CODE LIST- 2026 -27

5-Indore Division	6-Bhopal Division	7-Jabalpur Division
District-51-Jhabua	District-61-Rajgarh	District-71-Jabalpur
Block Block Code Name	Block Block Code Name	Block Block Code Name
5101 - Jhabua	6101 - Rajgarh	7101 - Panagar
5102 - Rama	6102 - Khilchipur	7102 - Kundam
5103 - Ranapur	6103 - Jirapur	7103 - Bargi (Jabalpur)
5104 - Petlawad	6104 - Narsingarh	7104 - Sihora
5105 - Thandla	6105 - Biaora	7105 - Majholi
5106 - Meghanagar	6106 - Sarangpur	7106 - Patan
District-52-Dhar	District-62-Vidisha	7107 - Shahpura
5201 - Dhar	6201 - Vidisha	District-72-Katni
5202 - Nalchha	6202 - Gyaraspur	7201 - Bahoriband
5203 - Tirla	6203 - Basoda	7202 -Dhimarkheda
5204 - Badnawar	6204 - Nateran	7203 - Rithi
5205 - Sardarpur	6205 - Kurwai	7204 - Katni
5206 - Manawar	6206 - Sironj	7205 - Barwara
5207 - Dharampuri	6207 - Lateri	7206 - Vijayraghgarh
5208 - Gandhwani	District-63-Bhopal	District-73-Narsingpur
5209 - Bakaner (Umarban)	6301 - Phanda	7301 - Narsingpur
5210 - Kukshi	6302 - Barasia	7302 - Gotegaon
5211 - Nisarpur	District-64-Sehore	7303 - Kareli
5212 - Bagh	6401 - Sehore	7304 - Saikheda
5213 - Dahi	6402 - Ichhawar	7305 - Babai Chichali
District-53-Indore	6403 - Ashta	7306 - Chawarpatha
5301 - Indore	6404 - Budhni	District-74-Mandla
5302 - Mhow	6405 - Nasrullanganj	7401 - Mandla
5303 - Sanwer	District-65-Raisen	7402 - Mohgaon
5304 - Depalpur	6501 - Sanchi	7403 - Ghughri
District-54-Khargone	6502 - Obedullaganj	7404 - Nainpur
5401 - Khargone	6503 - Begamganj	7405 - Bichhiya
5402 - Gogawan	6504 - Gairatganj	7406 - Mawai
5403 - Bhagwanpura	6505 - Silwani	7407 - Niwas
5404 - Segaon	6506 - Bareli	7408 - Narayanganj
5405 - Bhikangaon	6507 - Udaipura	7409 - Bijadodi
5406 - Jhiranya	District-66-Betul	District-75-Dindori
5407 - Maheshwar	6601 - Betul	7501 - Dindori
5408 - Badwah	6602 - Chicholi	7502 - Amarpur
5409 - Kasrawad	6603 - Ghoradongari	7503 - Karanjija
District-55-Badwani	6604 - Shahpur	7504 - Samnagar
5501 - Barwani	6605 - Multai	7505 - Bajag
5502 - Pati	6606 - Prabhatpattan	7506 - Mehadwani
5503 - Thikri	6607 - Amla	7507 - Shahpura
5504 - Rajpur	6608 - Bhainsdehi	District-76-Chhindwara
5505 - Pasemal	6609 - Aathner	7601 - Chhindwara
5506 - Sendhawa	6610 - Bhimpur	7602 - Tamia
5507 - Niwali	District-67-Hoshangabad	7603 - Parasia
District-56-Khandwa	6701 - Hoshangabad	7604 - Mohkheda
5601 - Khandwa	6702 - Babai	7605 - Jamai
5602 - Punasa	6703 - Keshla	7606 - Saunsar
5603 - Chhegaon (Makhan)	6704 - Sohagpur	7607 - Pandhurna
5604 - Pandhana	6705 - Bankhedhi	7608 - Bichhua
5605 - Harsud	6706 - Pipariya	7609 - Amarwara
5606 - Khalwa	6707 - Seoni Malwa	7610 - Churai
5607 - Baldi (Killod)	District-68-Harda	7611 - Harrai
District-57-Burhanpur	6801 - Khirkiya	District-77-Seoni
5701 - Khaknar	6802 - Harda	7701 - Seoni
5702 - Burhanpur	6803 - Timarni	7702 - Barghat
District-58-Alirajpur		7703 - Kurai
5801 - Alirajpur		7704 - Keolari
5802 - Jobat		7705 -Lakhnadon
5803 - Bhavra		7706 - Chhapara
5804 - Sondawa		7707 - Kahanapas (Ghansaur)
5805 - Katthiwada		7708 - Dhanaura
5806 - Udaigarh		District-78-Balaghat
		7801 - Balaghat
		7802 - Lanji
		7803 - Kirnapur
		7804 - Baihar
		7805 - Paraswada
		7806 - Birsa
		7807 - Waraseoni
		7808 - Kairlanji
		7809 - Katangi
		7810 - Lalbarra